बिहार विधान परिषद

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य के आहर-पाईन की उड़ाही का कार्य कराने का दायित्व लघु जल संसाधन विभाग का है। पटना जिला अन्तर्गत मसौढ़ी प्रखंड के सिकंदरपुर-चाकसाले एवं नालंदा जिला के रहुई प्रखंड स्थित पतासंग पंचायत के डिहरा गाँव समेत राज्य के सभी आहर-पाईन के उड़ाही का कार्य ठप है। आहर-पाईनों में मिट्टी भर जाने से पानी प्रवाह बंद हो गया है। जिसके कारण आहर-पाईन में जाने वाली दूषित पानी से लेकर नदियों का पानी प्रवाह नहीं हो पा रहा है, जिससे ग्रामीणों को इस माध्यम से सिंचाई सुविधायें नहीं मिल रही है।

अत: मैं सरकार से उक्त स्थिति में सघन अभियान चलाकर राज्य के सभी जिला में अवस्थित आहर-पाईन उड़ाही एवं अलंग कार्य सम्पन्न कराने हेतु सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- नवल किशोर यादव
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-64/2018 – 473 (1) वि.प.।　　　　दिनांक- 28.02.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ लघु जल संसाधन विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-08.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह
(नवल किशोर सिंह) 28.02.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद् **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

मधुबनी जिला अंतर्गत ग्राम रक्षा दल अपने क्षेत्र में धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में वर्षों से अपने दायित्वों का निर्वाहन करते आ रहें है। ग्राम रक्षा दल के सदस्यों का न तो मानदेय भत्ता निर्धारण है । और न ही किसी प्रकार की बुनियादी सुविधा दी जा रही है। सहायता के अभाव में ग्राम रक्षा दल के सदस्य शारीरिक, आर्थिक, मानसिक तथा सामाजिक संकटों से ग्रसित होते जा रहें है। जिस कारण इनके परिवार के लोगों के सामने भूखमरी की हालात उत्पन्न हो गई है।

अत: मैं सरकार से सदन में मधुबनी जिला अंतर्गत ग्राम रक्षा दल के सदस्यों की नियुक्ति नियमावली, मानदेय, बुनियादी सुविधा जैसे टॉर्च, लाठी, सिटी, वर्दी पहचान पत्र विधिवत मुहैया कराने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट व्यक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- सुमन कुमार
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-62/2018 - 471 (1) वि.प.। दिनांक- 28.02.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ गृह विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-08.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 28.02.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

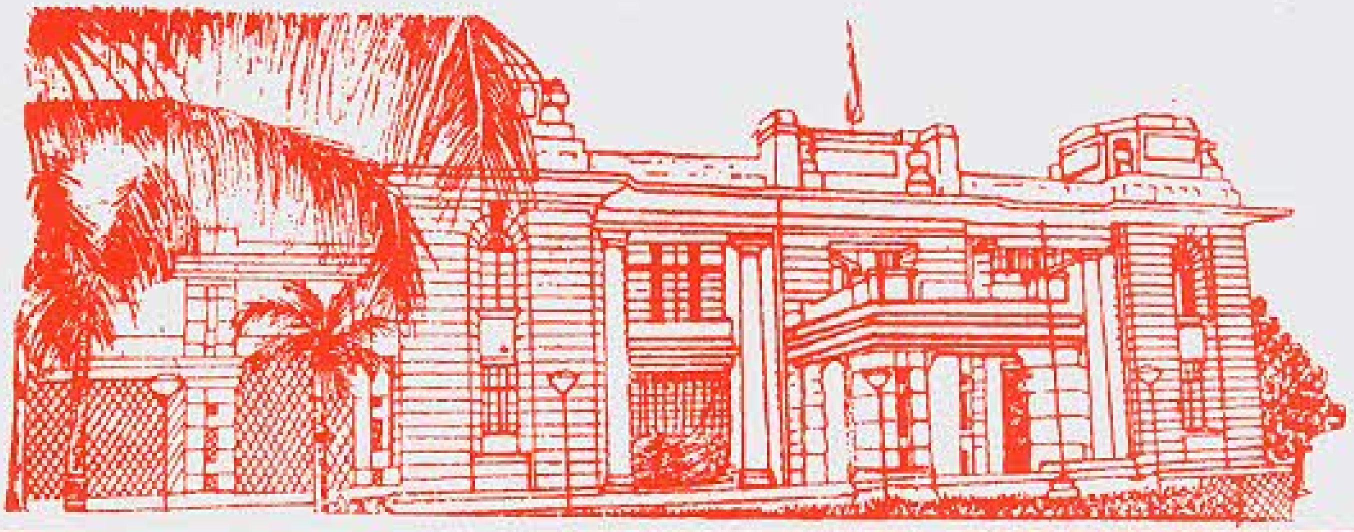

बिहार विधान परिषद ध्यानाकर्षण।

माननीय सभापति महोदय,

लखीसराय जिलान्तर्गत सूर्यगढ़ा प्रखंड के पोखरामा ग्राम में दिनंक- 4.8.2017 को एक ही परिवार के तीन सदस्य को गोली और चाकू से निर्मम हत्या की गई थी जिसके विरूद्ध कजरा थाना कांड संख्या-50/2017 दर्ज किया गया था। उक्त कांड के सूचक पवन कुमार सिंह ने लखीसराय के जिला पदाधिकारी से लाईसेंस हेतु कई बार मिल चुके, उसके बावजूद भी लाईसेंस निर्गत नहीं हो सका और दिनांक-9.1.2018 को सुबह 10.00 बजे पवन कुमार सिंह की हत्या भी हो गई लेकिन आज तक बचे अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और नही शेष बचे हुये परिजन दिवाकर सिंह एवं गोपाल सिंह को आज तक न तो हथियार का लाईसेंस मिल सका और न सरकार के तरफ से उस परिवार को किसी भी तरह का मुआवजा भी मिल सका है।

अत: ऐसे गंभीर विषय पर सरकार से एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ, साथ ही साथ नामजद अपराधियों को गिरफ्तारी करने की मांग करता हूँ, जिससे उस परिवार के लोगों की हत्या का सिलसिला रूक सके।

ह./- दिलीप कुमार चौधरी
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-63/2018 – 472 (1) वि.प.। दिनांक- 28.02.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ गृह विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-08.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह
28.02.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

राज्य में सरकार द्वारा पूर्ण शराबबंदी के आदेश के पश्चात् शराब व्यवसासियों ने अपना व्यवसाय बंद कर दिया तथा व्यवसासियों ने जो माल सरकार को दिया था उसे सरकार द्वारा नष्ट कर दिया गया। व्यवसायियों द्वारा सरकार को अग्रिम ब्रिक्री कर तथा आयात शुल्क एवं एल.एस.पी.-16-17 के रूप में 10 लाख जमा किया गया था। इसकी वापसी तथा तैयार कर दिए गये माल की राशि का भुगतान आज तक शराब व्यवसायियों को नहीं किया गया है। व्यवसायी बैंकें से ऋण लेकर व्यवसाय कर रहें थे। ऋण के पैसे के भुगतान के लिए व्यवसायियों पर बैंकों का काफी दवाव बना हुआ है। इससे राज्य के शराब व्यवसायी भारी सदमें में हैं तथा साख खराब होने के कारण आत्महत्या के स्थिति में पहुंच चुके है।

अत: राज्य के शराब व्यवसायियों का सरकार के यहां संपूर्ण बकाया राशि के भुगतान के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- दिलीप राय
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-61/2018 - 470 (1) वि.प.। दिनांक- 28.02.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-08.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 28.02.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

अरवल जिलान्तर्गत नगर परिषद् अरवल के वार्ड नं.-04 एवं 05 में थाना नं.-13 खाता न.-66, प्लॉट-नं.-536 एवं 538 में एराजी 47 डी. एवं 79 डी. जमीन है। उक्त भूमि पर सदियों से वासिलपुर मुहल्ले के मुसलमानों का कब्रिस्तान है । जहाँ कई पक्के एवं कच्चे कब्र है एवं वर्तमान में भी शव दफन किया जाता है। वर्ष 1956 में हुए एक बाद में माननीय न्यायालय ने कब्रिस्तान के पक्ष में फैसला दिया था। अंचलाधिकारी, अरवल के आदेश पर दिनांक-26.02.12 को इसकी मापी कराई गई थी। कब्रिस्तान घेराबंदी का प्राक्कलन भी तैयार किया गया किन्तु घेराबंदी नहीं हुई। वर्ष 2017 में एक व्यक्ति द्वारा कब्रिस्तान के बगल में घर बनाया गया एवं रास्ता के लिए दो कब्रों को तोड़कर ईट सोलिंग करके रास्ता बना लिया गया। प्रशासन से हस्ताक्षेप करने की मांग के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई यह सिलसिला अभी भी जारी है तथा आगे भी अतिक्रमण किए जाने की प्रबल संभावना है।

अत: मैं सरकार से उक्त कब्रिस्तान की संवेदनशीलता को देखते हुई अतिशीघ्र घेरांबदी किए जाने के संबंध में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- गुलाम रसूल
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-60/2018 – 469 (1) वि.प.। दिनांक- 28.02.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ गृह विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-08.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 28.02.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्